



## कार्यालय नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्रमांक : मानचित्र/संस्था/18/498-500

दिनांक: 8/3/2018

✓ स्वास्तिक बिल्डस्काई एलएलपी जरिये  
श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल पुत्र स्व.श्री रामचन्द्र तोषनीवाल  
श्रीमति शान्ता देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश तोषनीवाल  
97-98, सुजुकी इनक्लेव, चितौड़ रोड  
भीलवाड़ा

विषय:- राजस्व ग्राम पांसल के आराजी नं. 2581/7, 2583, 2583/1, 2564/1, 2564/2, 2564/3 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

प्रसंग:- न्यास स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दि. 21.02.2018 एजेण्डा नं. 01

राज्य सरकार की टाउनशिप पॉलिसी 2010 एवं अधिसूचना क्रमांक: एफ -3 (50) यूडीएच/3/2012 जयपुर दिनांक 31.5.2012 एवं राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 3 (90) नविवि/3/12 दिनांक 21.6.12 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में गठित कमेटी बाबत आपसे निवेदन के क्रम में तकनीकी अनुमोदन उपरान्त क्षेत्र का ले आउट प्लान योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है।

1. नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि एवं बाह्य विकास शुल्क न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
2. ले-आउट प्लान अनुसार भूमि का विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् स्वीकृत मानचित्र के अनुसार भवनों का निर्माण किया जा सकेगा या दोनों कार्य साथ-साथ भी किये जा सकेंगे। परन्तु लीज डीड विकास कार्य पूर्ण होने पर ही नियमानुसार प्रदान किये जा सकेंगे।
3. न्यास से भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य आरम्भ करें व स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जाएंगे जिसमें किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जावेगा।
4. बाहरी विकास कार्य आदि के संबंध में आपके प्रस्ताव पर न्यास द्वारा पृथक से निर्णय लिया जावेगा।
5. सड़क/सुविधा क्षेत्र में आने वाली भूमि को निःशुल्क समर्पण करना होगा।
6. कॉर्नर के भूखण्डों की नियमानुसार गोलाई छोड़नी होगी।
7. ले आउट प्लान मंजूर होने के 6 माह में विकास कार्य प्रारंभ करवाने होंगे।
8. विकास (सड़क, नाली, सीवररेज, रोशनी इत्यादि) कार्य राज्य सरकार द्वारा टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निर्धारित समय में पूर्ण करवाना होगा। विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप करवाना होगा।

रामचन्द्र  
8.3.18

9. अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार भूखण्डों के अतिरिक्त भूमि खाली छोड़ी जावेगी। जिसे अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार अंकित किये उपयोग हेतु सड़को की भूमि सहित स्पष्ट रूप से चिह्नित (डिमार्कट) करना होगा।
10. निर्धारित समयावधि में मानदंडों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक विकास कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण पत्र लिया जावेगा।
11. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जानेवाली कॉलोनियों में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान व अन्य प्लान के अनुसार सड़कें सीवर लाईन नाले ओवर हेड केबल्स आदि के लिये संबंधित संस्था को "राईट ऑफ वे" देना होगा।
12. भूखण्ड पर भवन निर्माण से पूर्व नियमानुसार सेट बेक छोड़ते हुए न्यास से मानचित्र अनुमोदन करवाना होगा।
13. समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा जारी नियमों/शर्तों की पालना करने होगी व न्यास को आवश्यकता होने पर नियमानुसार भूमि देनी होगी।
14. उपरोक्तानुसार पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
15. सुविधाओं की भूमि न्यास को लिखित में मय नापें क्षेत्रफल डिमार्कट कर समर्पित करनी होगी।
16. नक्शों की प्रति संलग्न है।

8.3.18  
उप नगर नियोजक  
नगर विकास न्यास  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी अधिकारी, नियमन शाखा को भेजकर लेख है कि स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति मास्टर पत्रावली में संधारित करावें।
2. ड्राईंग शाखा को भेजकर लेख है कि रेकार्ड संधारित करें।

उप नगर नियोजक  
नगर विकास न्यास  
भीलवाड़ा

LAOUT PLAN OF ARAJI NO 2581/7,2583,2583/1

0-05 1-12 0-11

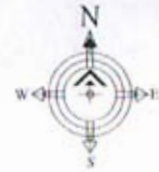
2564/1, 2564/2, 2564/3 ( RKABA 6 BIGHA 18 BISWA)

AT VILLAGE PANSAL TEH. & DIST BHILWARA (RAJ.)

SCALE 1" = 40'0"

PROPOSED SITE FOR RESIDENTIAL

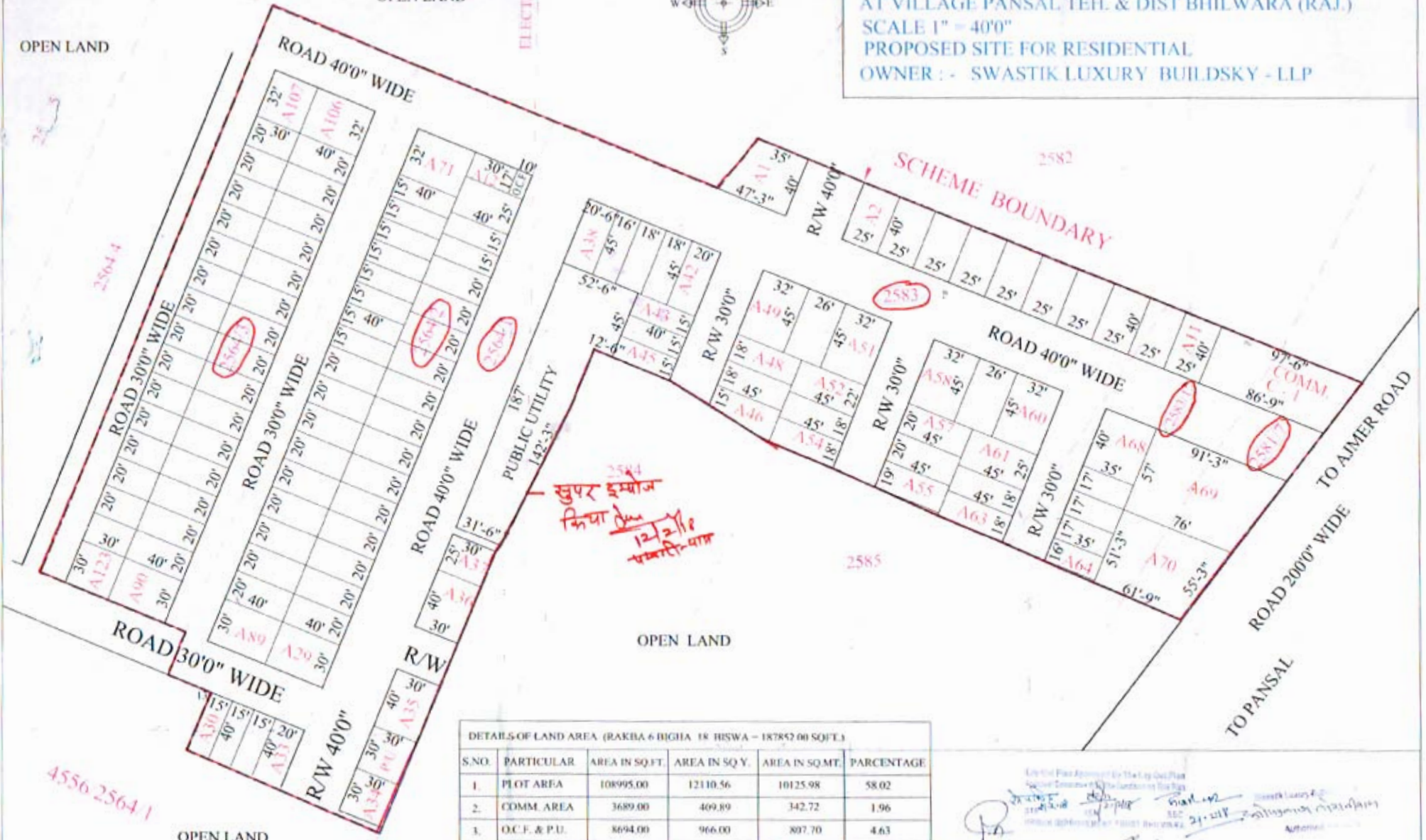
OWNER :- SWASTIK LUXURY BUILDISKY - LLP



OPEN LAND

OPEN LAND

ELECTRIC LINE



DETAILS OF LAND AREA (RAKABA 6 BIGHA 18 BISWA - 187852.00 SQ.FT.)

| S.NO. | PARTICULAR    | AREA IN SQ.FT. | AREA IN SQ.Y. | AREA IN SQ.MT. | PERCENTAGE |
|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 1.    | PLOT AREA     | 108995.00      | 12110.56      | 10125.98       | 58.02      |
| 2.    | COMM. AREA    | 3689.00        | 409.89        | 342.72         | 1.96       |
| 3.    | O.C.F. & P.U. | 8694.00        | 966.00        | 807.70         | 4.63       |
| 4.    | ROAD AREA     | 66474.00       | 7386.00       | 6175.64        | 35.39      |
| 5.    | TOTAL AREA    | 187852.00      | 20872.45      | 17452.04       | 100.00     |

Prepared By: *[Signature]*  
 Checked By: *[Signature]*  
 Date: 21.12.2018  
 498-502  
 5.12.2018  
 Natwar Lal Vijayvergia  
 CIVIL ENGINEER  
 U.T. LICENCE No. C-11  
 Bhilwara (M.) 9352115829  
 SIGNATURE